



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी

प्रदेश अध्यक्ष

सम्पर्क : 0551-2241716, मो: 9415548535

पत्राचार : मो० तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान

प्रदेश महामंत्री

सम्पर्क : 05872-252057, मो: 9415172656

पत्राचार : डी.सी. रोड, मो० सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी

दिनांक 16.12.14.

हरदेव शर्मा

(पश्चिमी जोन)

मो. 09412869499

राजेंद्र सिंह कछवाह

(मध्य जोन)

मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव

(पूर्वी जोन)

मो. 09450088433

*** कोषाध्यक्ष ***

अमलेश कुमार शर्मा

मो. 09837062257

*** संगठन मंत्री गण ***

कृष्ण कुमार सिंह

(पश्चिमी जोन)

मो. 09058499749

शील कुमार श्रीवास्तव

(मध्य जोन)

मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद

(पूर्वी जोन)

मो. 09450548706

*** आडीटर ***

राज किशोर अवस्थी

मो. 09936642639

सेवा में,

मा० अध्यक्ष महोदय,

राजस्व परिषद, लखनऊ

विषय:-

प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के 1326 पद वर्तमान समय में सृजित है, जिसमें से लगभग 800 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण कार्य सरकार की गुणवत्ता के साथ-साथ जनता के कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मृतक खातेदारों की वरासत एवं धारा 41 के अन्तर्गत सीमांकन प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक की अहम भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त लेखपालों के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी राजस्व निरीक्षक का ही होता है। जनहित गारंटी योजना के अन्तर्गत आय, जाति, निवास के प्रमाण पत्रों को समय से निर्गत होने हेतु भी राजस्व निरीक्षक की अहम भूमिका प्रदर्शित होती है। मा० परिषद स्तर से चयन की प्रक्रिया लगभग एक वर्ष से चल रही है जो अभी तक अन्तिम रूप में परिणित नहीं हो सकी है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी कर्मचारी को यदि समय से प्रोन्नति नहीं मिलती है तो उसकी कार्य शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ मानसिक कुष्टा से ग्रसित होना स्वाभाविक है। वैसे भी प्रोन्नति की वर्तमान व्यवस्थानुसार मात्र 7 प्रतिशत पदोन्नति ही लेखपालों को मिल पाती है। शेष 93 प्रतिशत अपने मूल पद लेखपाल से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नियमित समय से चयन के अभाव में पदोन्नति उस समय मिलती है जब लेखपाल के सेवानिवृत्त के कुछ माह अथवा दिन ही शेष होते हैं।

महोदय द्वारा सदैव से ही कर्मचारी संवर्ग की न्यायिक समस्याओं के निस्तारण में न्याय प्रदान किया जाता रहा है। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही कार्य सरकार एवं जनहित में राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर लेखपाल संवर्ग के पात्र सदस्यों को पदोन्नति/नियुक्ति करने हेतु तत्काल कार्यवाही करके संस्था को अनुग्रहीत करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

भवदीय,

(अवधेश सिंह चौहान)
महामंत्री